IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 24 | अंक 4 | सांचौर, रविवार, 15 फरवरी 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

फसल मौसम के अनुसार हो केसीसी का पुनर्भुगतान शेड्यूल

मुंबई, आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम में बदलाव के लिए मसौदा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद कवरेज बढ़ाने के साथ संचालन पहलुओं को आसान बनाना और कृषि क्षेत्र में उभरती जरूरतों को पूरा करना है। आरबीआई ने मसौदा गाइडलाइन पर छह मार्च तक सलाह मांगी है। आरबीआई ने लोन मंजूरी और पुनर्भुगतान शेड्यूल में समानता लाने के लिए फसल के मौसम को अवधि के हिसाब से मानकीकरण करने का प्रस्ताव दिया है। कम अवधि वाली फसलों के लिए 12 महीने का वक्त तय किया गया है जबकि लंबी अवधि में तैयार होने वाली फसलों के लिए अवधि 18 महीने तय की गई है। केंद्रीय बैंक ने केसीसी के निकासी सीमा को हर फसल के मौसम के लिए फाइनेंस के स्केल के साथ जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया है ताकि यह पक्का हो सके कि किसानों को खेती की असली लागत के आधार पर सही क्रेडिट मिले।

अन्नदाता को 25 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण की सौगात, लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 'सारथियों' के नसीब में फिर वही 'कैडर' का सन्नाटा

करोड़ों का ऋण बांटने वाले हाथों को खुद के वेतन का इंतज़ार; बजट में पैक्स कार्मिकों की अनदेखी से गहराया आक्रोश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान सरकार का ताजा बजट पेश हो चुका है। गलियारों में 'प्रगतिशील', 'ऐतिहासिक' और 'क्रांतिकारी' जैसे शब्दों की गूंज है। उद्योग चमक रहे हैं, कृषि बजट में 7.9 प्रतिशत की छलांग लग गई है और पहली बार प्रदेश 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) की उंगली थामकर भविष्य की ओर दौड़ लगा रहा है। लेकिन इस चमक-धमक वाली तस्वीर के पीछे एक स्याह कोना भी है, जहाँ प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सहकारी आंदोलन के त्रि-स्तरीय ढांचे की रीढ़ मानी जाने वाली 'ग्राम सेवा सहकारी समितियों' के व्यवस्थापक आज भी 'कैडर' की मृगतृष्णा में भटक रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण का झुनझुना तो थमाया है, लेकिन इस ऋण योजना को धरातल पर उतारने वाले व्यवस्थापकों के खाली पेट और अनिश्चित भविष्य पर बजट की कलम चलते-चलते रुक गई। इस बार के बजट का मुख्य आकर्षण 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' है। सरकार चाहती है कि राजस्थान के बच्चे भविष्य की तकनीक सीखें। यह विडंबना ही है कि एक तरफ सरकार एआई के जरिए 'स्मार्ट' होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर काम करने वाले व्यवस्थापकों को कैडर और वेतन सुरक्षा देने में पीछे हट रही है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनका एक निश्चित कैडर बने ताकि उन्हें वेतन की सुरक्षा मिल सके। आज स्थिति यह है कि व्यवस्थापक करोड़ों का लेन-देन संभालता है, लेकिन खुद के परिवार के लिए बजट बनाते समय उसके हाथ कांपते हैं।

कैडर' बनाने की बहुप्रतीक्षित घोषणा न करना दुर्भाग्यपूर्ण

ऑल राजस्थान को-आपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रान्तीय महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बजट का विश्लेषण करते हुए बजट को विकासोन्मुख तो बताया, लेकिन व्यवस्थापकों के कैडर की अनदेखी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आमेरा का कहना है कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 7.9 प्रतिशत की वृद्धि और 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने, 800 करोड़ का ब्याज अनुदान और अकृषि ऋण पर 5 प्रतिशत की राहत स्वागत योग्य है। लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के वेतन भुगतान की सुरक्षा के लिए 'कैडर' बनाने की बहुप्रतीक्षित घोषणा न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के पैक्स कार्मिक लंबे समय से नियमित वेतन के लिए जूझ रहे हैं, जबकि सहकारी बैंक करोड़ो का आयकर तक चुका रहे हैं। इस अनदेखी से कर्मचारियों में भारी निराशा है।

ब्याज अनुदान घोषणा की थी उम्मीद

राज्य सरकार के बजट पर बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक मुख्य प्रबंधक अमराराम चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास तकनीकी व औद्योगिक विकास को समर्पित बजट है। उन्होंने कहा कि कृषि बजट में 7.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी और किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त फसली ऋण की घोषणा सराहनीय है, हालांकि सहकारी संस्थाओं के लंबित ब्याज अनुदान पर भी घोषणा की उम्मीद थी।

व्यवस्थापक के हाथ फिर रहें खाली

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देकर कहा कि, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के वेतन भुगतान और सुरक्षा के लिए कैडर बनाने की घोषणा न होना अत्यंत निराशाजनक है। प्रदेश के पैक्स कार्मिक लंबे समय से नियमित वेतन से वंचित हैं, जबकि सहकारी बैंक निरंतर करोड़ो का आयकर चुका रहे हैं। इस अनदेखी से कार्मिकों के बीच गहरा असंतोष है। यह बजट उन लोगों के लिए तो 'प्रगतिशील' हो सकता है जो फाइलों और आंकड़ों के जादूगर हैं। लेकिन उन व्यवस्थापकों के लिए यह किसी 'दुःस्वप्न' से कम नहीं है, जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार बजट के भाषण में 'कैडर' शब्द स्वर्ण अक्षरों में लिखा होगा।

एक्सपर्ट व्यू

प्रदेश के सहकारी बैंक सरकार को भारी भरकम 'आयकर' चुका रहे हैं, मुनाफे की डफली बजाई जा रही है, लेकिन उन्हीं बैंकों की बुनियाद यानी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को नियमित वेतन तक नसीब नहीं हो रहा। क्या सरकार को लगता है कि व्यवस्थापक केवल 'हवा और दुआओं' पर जीवित रहकर सहकार से समृद्धि का पहिया घुमाते रहेंगे? बिना कैडर के पैक्स कार्मिकों में भारी असंतोष और निराशा है। यह असंतोष उस समय और गहरा हो जाता है जब सरकार हर वर्ग को कुछ न कुछ 'रेवड़ी' या 'राहत' बांट रही होती है, लेकिन सबसे मेहनतकश तबके को केवल 'आश्वासन' की सूखी रोटी दी जाती है। सरकार को यह समझना होगा कि 'सहकार से समृद्धि' के दौर में बिना 'व्यवस्थापक' के 'व्यवस्था' नहीं सुधर सकती। यदि पैक्स कार्मिकों का नियमित वेतन और कैडर सुनिश्चित नहीं हुआ, तो 25,000 करोड़ के कर्ज का यह पहाड़ उन्हीं के कंधों पर ढह सकता है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस 'निराशा' को भांपकर कोई सुधारात्मक कदम उठाएगी या फिर व्यवस्थापक कैडर का नाम ढूँढते ही रह जाएंगे?

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c), 46(4)(i) और 56 के तहत यह कार्रवाई की गई

आरबीआई ने राजस्थान के दो केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमों और केवाईसी निर्देशों के उल्लंघन को लेकर राजस्थान के दो प्रमुख केंद्रीय सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं। जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी, 2026 के एक आदेश के माध्यम से जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए बताया कि नाबार्ड द्वारा 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि बैंक खातों के जोखिम श्रेणीकरण की समीक्षा के लिए कोई प्रभावी प्रणाली लागू नहीं कर सका था। नियमों के अनुसार, यह समीक्षा हर छह महीने में कम से कम एक बार की जानी अनिवार्य थी, जिसमें बैंक विफल रहा। इसी प्रकार आरबीआई ने गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक पर 3 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। नाबार्ड द्वारा 31 मार्च, 2025 तक बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें पाया गया कि सीसीबी आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहीं। इसके बाद सीसीबी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनके जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि सीसीबी के खिलाफ आरोप सही थे। गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक मुख्य रूप से दो मोर्चों पर विफल रहाः पहला, खातों के जोखिम वर्गीकरण की हर छह महीने में समीक्षा करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, और दूसरा, ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा में अपडेट नहीं किया गया। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। यह जुर्माना केंद्रीय सहकारी बैंक के खिलाफ अन्य संभावित कार्रवाइयों के अतिरिक्त है।

जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक

जुर्माना राशि 1 लाख रुपये

कारण

बैंक ने खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए कोई ठोस प्रणाली स्थापित नहीं की थी। नियमों के अनुसार, यह समीक्षा कम से कम हर छह महीने में एक बार होनी अनिवार्य थी, जिसका पालन नहीं किया गया।

गंगानगर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक

जुर्माना राशि 3 लाख रुपये

कारण

इस बैंक पर दोहरा उल्लंघन पाया गयाः जयपुर सीसीबी की तरह, यहाँ भी खातों के जोखिम वर्गीकरण की छह-माही समीक्षा प्रणाली का अभाव था। साथ ही बैंक ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपडेट करने में भी विफल रहा

नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

केंद्रीय सहकारी बैंकों में अब मिलेगा बीमा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, राजस्थान के सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली और उनके व्यापार विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंक केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे 'कॉर्पोरेट एजेंट' के रूप में बीमा व्यवसाय भी कर सकेंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) ने राज्य के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के उप-नियमों में संशोधन के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड को निर्देशित किया है कि वे राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अंतर्गत बैंकों के उप-नियमों में यह संशोधन जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। अब नए संशोधन (उप-नियम संख्या 4(16)) के तहत, बैंक अब भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के 2015 के नियमों के अनुसार पंजीकरण कराकर बीमा सेवाएं प्रदान कर सकेंगे । यह निर्णय भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा सुझाए गए 'Cooperation among cooperative' विजन के अंतर्गत लिया गया है। इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों की आय बढ़ाना और सदस्यों को एक ही छत के नीचे बैंकिंग के साथ-साथ बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

सहकारिता विभाग ने वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के आधार पर 35 अधिकारियों की बड़ी पदोन्नति की

सहकारिता विभाग में 35 अधिकारियों को मिला पदोन्नति का तोहफा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। प्रदेश के सहकारिता विभाग ने वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर बड़े स्तर पर पदोन्नतियां की हैं। इसके लिए राजस्थान सहकारी सेवा नियम 1954 के प्रावधानों के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत अतिरिक्त रजिस्ट्रार से अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सी. स्केल) पद पर 8 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है । साथ ही, संयुक्त रजिस्ट्रार से अतिरिक्त रजिस्ट्रार पद पर 7 अधिकारियों एवं उप रजिस्ट्रार से संयुक्त रजिस्ट्रार पद पर 8 अधिकारियों तथा सहायक रजिस्ट्रार से उप रजिस्ट्रार पद पर 12 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा विभाग के अनुसार, फिलहाल ये अधिकारी अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे और उनके पृथक से पदस्थापन आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

एडिशनल और जॉइंट रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी पदोन्नत

सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव की ओर से आज पदोन्नति आदेश जारी किए गए है । जिसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार से अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सी. स्केल) पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में इन्द्रराज मीणा, उषा कपूर सत्संगी, गुंजन चौबे, आशुतोष भट्ट, रणजीत सिंह चूड़ावत, संदीप खण्डेलवाल, कार्तिकेय मिश्र, सुरभि शर्मा के नाम शामिल हैं। इसी तरह संयुक्त रजिस्ट्रार पद से अतिरिक्त रजिस्ट्रार पद पर ओमप्रकाश जैन, अनिल कुमार काबरा, बिजेन्द्र कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, मदन लाल गुर्जर, राजेश टांक और राजेन्द्र कुमार मीणा को पदोन्नत किया गया है ।

8 अधिकारी बने संयुक्त रजिस्ट्रार, 12 बने उप रजिस्ट्रार

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर, उप रजिस्ट्रार पद से संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर राजेन्द्र सिंह-प्रथम, वेद प्रकाश सैनी, दीपेन्द्र शेखावत, संदीप शर्मा, मदन लाल, मोहम्मद हारून बेलिम, जितेन्द्र कुमार और राजेन्द्र सिंह-द्वितीय को पदोन्नत किया गया है। इसी तरह सहायक रजिस्ट्रार पद से उप रजिस्ट्रार पद पर आलोक शर्मा, गगन पाण्डे, तब्बसुम कुरैशी, सारिका गुप्ता, चन्द्रभान पाराशर, संघमित्रा जैन, सतीश जैमन, नीलिमा भारद्वाज, पूजा चतुर्वेदी, कल्पना सिंह, राजेश यादव और रामरतन डोई को पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं।

'भारत टैक्सी' ने दिखाई सहकारिता में नई किरण

भारत में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत दुनिया के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी गूंज है, जिसकी अनुगूंज अन्य क्षेत्रों में सुनाई पड़ सकती है। निश्चित ही यह 'ओला' और 'उबर' जैसी निजी स्वामित्व में चलने वाली ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को चुनौती देगी। अच्छी बात यह है कि सहकार से संचालित होने के कारण 'भारत टैक्सी' सेवा में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा शामिल नहीं होगा, जिससे यात्रियों और टैक्सी ड्राइवरों दोनों को फायदा होगा। इससे सेवा सस्ती तो होगी ही, करीब-करीब पूरा किराया चालकों की जेब में जाएगा जबकि, निजी कंपनियां 30-40 फीसदी किराया अपने पास रखती हैं। भारत टैक्सी का संचालन 'सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड'(एसटीसीएल) नामक बहुराज्यीय सहकारी संगठन करेगी, जिसमें टैक्सी चालक शेयर होल्डर होंगे। इस ऐप से जुड़ते ही चालक को कम से कम पांच शेयर मिलेंगे, जिनकी कीमत मात्र 500 रुपए होगी। कार चालकों को प्रतिदिन मात्र 30 रुपए और ऑटोरिक्शा चालकों को 18 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। सरकार ने वर्ष 2029 तक देशभर में 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू करने का संकल्प जताया है। 'भारत टैक्सी' की सफलता इस पर निर्भर होगी कि संचालन कितनी बखूबी और पेशेवर तरीके से किया जा रहा है। सहकारी संगठनों के सामने ऐतिहासिक रूप से प्रबंधन और पारदर्शिता की चुनौतियां रही हैं। लेकिन आज हमारे पास 'ब्लॉकचेन' और 'रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स' जैसी तकनीकें हैं। 'भारत टैक्सी' की सफलता इस बात पर भी टिकी है कि उसका ऐप उतना ही सुचारू हो जितना किसी निजी कंपनी का। यदि हम तकनीक का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से करें तो सहकारिता का प्रबंधन भ्रष्टाचार मुक्त और कुशल हो सकता है। देश में सहकारिता का इतिहास दूध व पापड़ उद्योग में सफलता की कहानियों से भरा पड़ा है। यह भी सच है कि देश में सहकारिता कमोबेश कृषि और डेयरी क्षेत्रों तक सीमित रही है जबकि, इसके विस्तार की काफी गुंजाइश है। मोदी सरकार ने पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन व उसकी जिम्मेदारी अमित शाह जैसे कद्दावर नेता को देकर अपने इरादे जरूर जाहिर किए थे। वस्तुत: कई क्षेत्र हैं जहां सहकारिता मॉडल न केवल संभव है, बल्कि बेहतर हो सकता है। वर्तमान में ई-कॉमर्स बाजार पर कुछ वैश्विक कंपनियों का एकाधिकार है। यदि एमएसएमई का अपना एक सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो वे विज्ञापनों और कमीशन के बोझ से मुक्त होकर उपभोक्ताओं को सस्ता सामान उपलब्ध करा सकेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के इस दौर में, समुदाय-आधारित सौर ऊर्जा सहकारी समितियां क्रांतिकारी कदम हो सकती हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी या पूरा गांव मिलकर सौर पैनल लगा सकता है और उत्पादित बिजली का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर सामूहिक आय अर्जित कर सकता है।

बजट 2026: राजकोषीय घाटे और ऋण को नियंत्रित करने की घोषणा स्वागत योग्य

> **"निर्मला सीतारमण के पिछले बजट भाषणों को गौर से देखें तो हर वर्ष प्राथमिकताओं को एक नए "फ्रेमवर्क" में प्रस्तुत किया गया है. कभी "समावेशी विकास", कभी "आत्मनिर्भर भारत", कभी "ग्रीन ग्रोथ", और इस बार "तीन कर्तव्य" - विकास को गति देना, क्षमताओं का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना कि विकास समाज के हर वर्ग तक पहूँचे."**

संसद में बजट 2026 के साथ हाल ही में तीन अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं—आर्थिक सर्वेक्षण, सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट और केंद्रीय बजट 2026. ये तीनों दस्तावेज मिलकर भारत की आगामी आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और संघीय वित्तीय ढांचे की रूपरेखा तय करते हैं. वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों की वित्तीय क्षमताओं और संसाधनों के बंटवारे को प्रभावित करती हैं. आर्थिक सर्वेक्षण वर्तमान आर्थिक-सामाजिक स्थिति के साथ भविष्य की संभावनाओं का आकलन प्रस्तुत करता है, और बजट सरकार की नीति-प्राथमिकताओं को ठोस रूप में सामने रखता है. इन तीनों में केंद्रीय बजट वह दस्तावेज है, जो जनता की अपेक्षाओं, राजनीतिक बहसों और आर्थिक वास्तविकताओं के सबसे निकट होता है. ऐसे तो हर वर्ष संसद में देश का एक बजट पेश होता है, लेकिन उसके भीतर कई भारत बसते हैं—शहरों का भारत, गाँवों का भारत, युवाओं का भारत, महिलाओं का भारत, किसानों का भारत, विभिन्न राज्यों का भारत और उद्यमियों का भारत. इन सभी के सपने और ज़रूरतें अलग-अलग हैं. इसलिए बजट की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि क्या वह इन उम्मीदों को अवसरों में बदल पाता है. निर्मला सीतारमण के पिछले बजट भाषणों को गौर से देखें तो हर वर्ष प्राथमिकताओं को एक नए "फ्रेमवर्क" में प्रस्तुत किया गया है. कभी "समावेशी विकास", कभी "आत्मनिर्भर भारत", कभी "ग्रीन ग्रोथ", और इस बार "तीन कर्तव्य" – विकास को गति देना, क्षमताओं का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना कि विकास समाज के हर वर्ग तक

पहुँचे. राजकोषीय घाटे और ऋण को नियंत्रित करने की घोषणा इस बजट का एक सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि दीर्घकालिक स्थिरता के बिना विकास टिकाऊ नहीं हो सकता. परंतु संतुलन बनाना भी जरूरी है कि वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निवेश कम न हो. खर्च के आधार पर देखें तो बजट 2026 में भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है, जो आधारभूत संरचना निर्माण के केंद्र सरकार के पिछले कुछ वर्षों के प्रयासों को आगे बढ़ाती है. सड़कें, रेल, ऊर्जा और डिजिटल ढाँचा—इन क्षेत्रों में निवेश आर्थिक गति का इंजन बन सकती है, सरकार ने इस अवधारणा पर काफी काम किया है. हालांकि यह भी उतना ही आवश्यक है कि राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर पूंजीगत व्यय बढ़ाएं, क्योंकि भारत के विकास में राज्यों की वित्तीय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता उतनी ही निर्णायक है, जितना केंद्र की योजनाएं. इसमे केंद्र से अतिरिक्त सहयोग की अपेक्षा राज्यों को है. बजट में 'हाई-लेवल एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी' की घोषणा इस बात को रेखांकित करती है कि शिक्षा सुधारों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सीखना सीधे सार्थक नौकरियों और उद्यमिता से जुड़ सके. यह पहल देर से आई है, लेकिन स्वागत योग्य है. भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस बजट ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0' और 'बायोफार्मा शक्ति' जैसी पहलों की शुरुआत की है. इनका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता के दौर में यह कदम भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है. बजट में MSME के लिए तीन-स्तरीय रणनीति प्रस्तुत की गई है, जिसका उद्देश्य छोटे उद्योगों को विस्तार, तकनीकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करना है. इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता के प्रावधान के साथ रेगुलेशन में सुधार की बात भी की गई है. यह सुधार पिछली बजट में की गई घोषणाओं के अतिरिक्त है जो यह भी याद दिलाता है की ये सुधार पहले क्यूँ नहीं किये जा सके. शहरों और छोटे नगरों की भूमिका को इस बजट ने नए दृष्टिकोण से देखा है. यह संकेत है कि सरकार अब केवल महानगरों पर निर्भर रहने के बजाय छोटे शहरों को विकास के नए केंद्र के रूप में देख रही है. यदि यह पहल सही ढंग से लागू हुई, तो ग्रामीण-शहरी असमानता को कम करने और पलायन रोकने में मदद मिल सकती है. बढ़ती उम्र के लोगों के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर पहल आगे के वर्षों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है. बजट में देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु 1.5 लाख बहु-कौशलयुक्त केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने की योजना है. साथ ही हर जिला अस्पताल में नए ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है. शिक्षा के क्षेत्र में पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने और STEM संस्थानों में छात्राओं के लिए छात्रावास सुनिश्चित करने की बात कही गई है. पर्यटन, दिव्यांगजन और खेलों से जुड़ी पहले भी इस बजट में शामिल हैं. बजट का एक स्पष्ट संकेत यह भी है कि भारत की विकास महत्वाकांक्षाएं सेवा क्षेत्र की शक्ति से संचालित हो रही हैं. पर्यटन, स्वास्थ्य, देखभाल सेवाएँ, बायो-फार्मा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर दिया गया जोर इसी दिशा को दर्शाता है. मांग-आधारित प्रशिक्षण और क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास पर ध्यान देना स्वागतयोग्य है. लेकिन यह भी सच है कि केवल सेवा क्षेत्र आधारित विकास से बड़े पैमाने पर स्थायी रोजगार पैदा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जब तक विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त विस्तार न करे. यह बजट कई क्षेत्रों में सुधारों की बात करता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन के लिए बजट की घोषणाओं से अधिक विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सतत प्रयासों की आवश्यकता होगी. सुधारों के लिए गहन मंथन, ठोस योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन अनिवार्य है.

-डॉ सुधांशु कुमार
(ये लेखक का अपना विचार है)

नवगठित एम-पैक्स में व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने के निर्देश जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 'एम-पैक्स' के रूप में विकसित कर उनमें व्यावसायिक गतिविधियां अनिवार्य रूप से शुरू की जाएंगी। इसके लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत द्वारा एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है । जिसके अनुसार भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की पहल पर आधारित इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं । इसमें प्रमुख रूप से प्रदेश में गठित सभी नए 'एम-पैक्स' को तुरंत केंद्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ने तथा नवगठित और पंजीकृत एम-पैक्स के माध्यम से किसान सदस्यों को ऋण वितरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के आलवा प्रत्येक एम पैक्स को अपना 'बिजनेस एक्टिविटी प्लान' तैयार करने के निर्देश प्रदान किए गए है, हालांकि बिजनेस एक्टिविटी प्लान में प्रत्येक एम-पैक्स में कम से कम तीन अलग-अलग व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है । योजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी के लिए एक विशेष प्रारूप भी जारी किया गया है। इसके तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को पाक्षिक आधार पर डेटा ईमेल के माध्यम से शीर्ष बैंक को भेजना होगा। इस डेटा में एम-पैक्स की कुल संख्या, सदस्य संख्या, वितरित ऋण राशि और व्यावसायिक योजना बनाने वाली समितियों का पूरा विवरण शामिल होगा।

भिंडर में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन, किसानों व स्वयं सहायता समूहों को लाखों रुपये के चेक वितरित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर । ग्रामीण विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिंडर में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के अनेक किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न सहकारी योजनाओं के अंतर्गत लाखों रुपये के चेक वितरित किए गए। इस दौरान हंगेर माता राजीविका तथा श्री भेरुनाथ राजीविका स्वयं सहायता समूहों को दो दो लाख के चेक दिये गए, साथ ही उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 32 कृषकों को किसान क्रेडिट ऋण योजना के तहत प्रति कृषक 12500 रूपये के चेक प्रदान किए गए । जबकि लाभार्थियों ने बताया कि प्राप्त राशि से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी तथा यह धनराशि कृषि कार्यों, बीज, खाद की खरीद एवं अन्य आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध होगी। वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने बताया कि इस आर्थिक सहायता से वे नए व्यवसाय शुरू करेंगी जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।शिविर के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न सहकारी ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सदस्य भी बनाया गया, जिससे उन्हें भविष्य में सरलता से ऋण सुविधाए बीमा एवं अन्य लाभप्राप्त हो सकें। कार्यक्रम में ग्रामीणों की अच्छी उपस्थिति रही और लोगों ने इसे ग्राम विकास की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य है।

सफलता की कहानी....

निमोद बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति बन रही मिसाल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

- उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए समिति को 5 बार राष्ट्रीय स्तर, 2 बार राज्य स्तर एवं 30 से अधिक बार जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका
- समिति द्वारा पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2.40 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है. जिससे प्रतिमाह लगभग 10 लाख रुपये की बिजली की बिक्री की जाती
- एक मेडिकल शॉप एवं दो लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है
- मिनी बैंक व्यवसाय में समिति सदस्यों की 30 करोड़ रुपये से अधिक की जमाएं
- समिति के पास अपनी 1.68 हैक्टर भूमि है, जहां बने गोदाम से खाद-बीज बिक्री का कार्य किया जाता है।

डीडवाना-कुचामन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के कुशल निर्देशन में राज्य में 'सहकार से समृद्धि की संकल्पना साकार हो रही है। राज्य की सहकारी समितियां विभिन्न नवाचारों एवं गतिविधियों को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। डीडवाना-कुचामन जिले की निमोद बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति इसकी एक जीती जागती मिसाल है, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अपनाकर सहकार से समृद्धि के पथ्य पर आगे बढ़ रही है। अपनी उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए समिति को 5 बार राष्ट्रीय स्तर, 2 बार राज्य स्तर एवं 30 से अधिक बार जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका है। निमोद सहकारी समिति द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण के अतिरिक्त 8 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं। मिनी बैंक व्यवसाय में समिति सदस्यों की 30 करोड़ रुपये से अधिक की जमाएं हैं। वर्तमान में समिति की पांच शाखाएं संचालित हैं। समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण की जा चुकी है एवं इसमें 7 लाख रुपये का निवेश किया गया है। समिति की दो महिला कार्मिकों का ड्रोन दीदी के रूप में चयन किया गया है। ड्रोन किराये पर दिए जाने से समिति की आय में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, बारिश के पानी को सहेजने के लिए समिति ने 13 लाख लीटर क्षमता का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया हुआ है, जिसमें जमा पानी आस-पास के गांवों में कैन के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। निमोद सहकारी समिति द्वारा पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2.40 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है. जिससे प्रतिमाह लगभग 10 लाख रुपये की बिजली की बिक्री की जाती है। कार्यालय भवन की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिससे विद्युत खर्च शून्य हो गया है। समिति द्वारा एक मेडिकल शॉप एवं दो लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा 1200 वर्ग फीट क्षेत्र में बने एक सुपर मॉल एवं दो उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों का भी संचालन किया जाता है। समिति के पास एक मोबाइल वैन भी है, जिसमें समिति के प्रतिनिधि गांव-गांव और ढ़ाणी-दाणी जाकर उत्पादों की बिक्री करते हैं। भविष्य में समिति द्वारा एक पेट्रोल पम्प संचालित करने की भी योजना है, जिसके लिए आवेदन किया जा चुका है। समिति के पास अपनी 1.68 हैक्टर भूमि है, जहां बने गोदाम से खाद-बीज बिक्री का कार्य किया जाता है। समिति द्वारा दो कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां कृषकों को आधुनिक कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा एक धर्म कांटे का संचालन भी किया जा रहा है। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत समिति का 2000 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है। जबकि, 600 मीट्रिक टन क्षमता का एक गोदाम बनकर तैयार हो चुका है। एनसीडीसी से समिति को एक एफपीओ भी आवंटित हो चुका है, जिसका शीघ्र की संचालन शुरु होगा। निमोद सहकारी समिति अपनी गतिविधियों एवं नवाचारों से स्वयं तो आर्थिक रूप से सशक्त बन ही रही है राज्य की अन्य सहकारी समितियों के लिए भी मिसाल बन रही है।

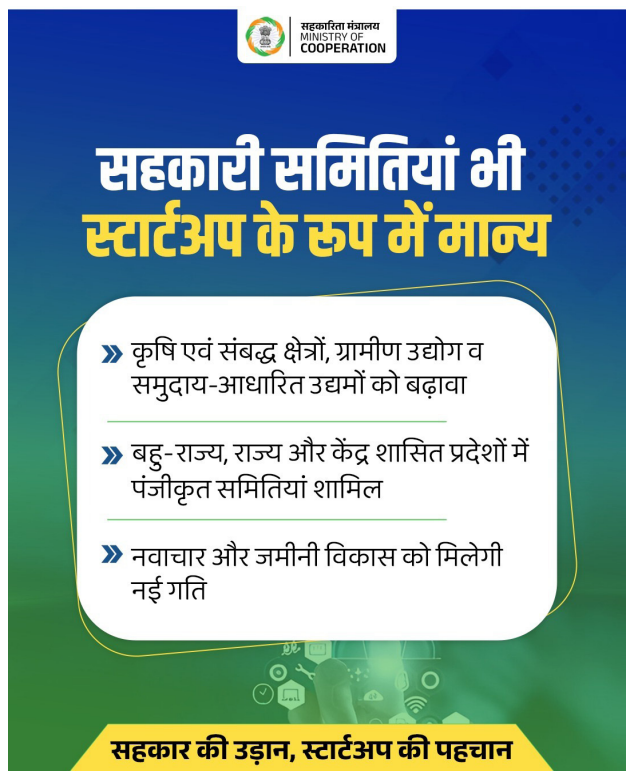

विधायकों के सवालों ने सहकारिता विभाग की पारदर्शिता पर लगाया बड़ा सवालिया निशान

सहकारी बैंकों में फर्जी डिग्रियां, 'अपात्र' एमडी और करोड़ों के एरियर भुगतान को लेकर विधानसभा में पंजीबद्ध हुए सवाल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान विधानसभा के वर्तमान सत्र में सहकारिता विभाग और केंद्रीय सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर भारी गहमागहमी रहने वाली है। विधायकों ने सहकारिता विभाग से संबंधित कुल 140 तारांकित और अतारांकित प्रश्न दर्ज करवाए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अपेक्स और केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) में प्रबंध निदेशकों (MDs) की पात्रता, फर्जी डिग्रियों के सहारे लिए गए आर्थिक लाभ और आर्थिक संकट के बावजूद बांटे गए एरियर जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। दरअसल पूर्व मंत्री और विधायक शांति धारीवाल ने बैंकों में एमडी की नियुक्तियों को लेकर तारांकित सवाल किया है। धारीवाल ने पूछा है कि अपेक्स और केंद्रीय सहकारी बैंकों में एमडी की नियुक्ति के लिए आरबीआई की 'फिट एंड प्रॉपर' गाइडलाइन क्या है? कितने बैंकों में आरबीआई की बिना मंजूरी के एमडी लगाए गए हैं और कितने ऐसे हैं जो पात्रता पूरी नहीं करते? क्या सरकार इन अपात्र एमडी को हटाने का विचार रखती है? हालांकि विधायक शांति धारीवाल ने पिछली बार विधानसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान भी यही सवाल पूछा था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने फिर से सवाल लगाकर विभाग से जवाब मांगा है।

जोधपुर सीसीबी की आर्थिक स्थिति और वेतन समझौता

विधायक श्रीमती गीता बरवड़ ने जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक में वित्तीय कुप्रबंधन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि: बैंक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद कर्मचारियों को 15वें और 16वें वेतनमान के तहत करोड़ों रुपये का भुगतान और एरियर कैसे दे दिया गया? क्या सरकार इस भारी-भरकम भुगतान की जांच के लिए किसी विशेष समिति के गठन पर विचार कर रही है? उन्होंने अधिकारीवार वेतन और एरियर का पूरा ब्यौरा सदन के माध्यम से सहकारिता विभाग से मांगा है।

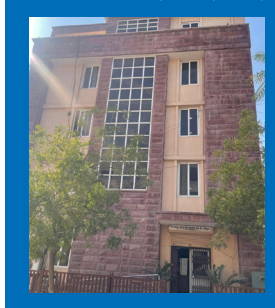

एक्सपर्ट व्यू

वाह! राजस्थान की सहकारिता का क्या कहना? यहाँ 'फिट एंड प्रॉपर' के नाम पर 'अनफिट' का बोलबाला है। गजब की विडंबना है—पूर्व मंत्री को अपने ही घर (KVSS) का हिसाब माँगने के लिए विधानसभा का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। फर्जी डिग्रियों से 'ज्ञान' बढ़े न बढ़े, वेतन और एरियर जरूर बढ़ गया। बैंक भले ही कंगाल हों, पर अपात्रों के लिए खजाना हमेशा खुला है। इसे कहते हैं 'सहकारिता'—मिल-जुलकर मलाई खाना! अब सबकी नजरें विभाग के जवाब पर टिकी हैं कि क्या वह इन कथित घोटालों और नियमों के उल्लंघन पर कोई सख्त कदम उठाएगा । सहकारिता विभाग के इन 140 सवालों ने विभाग के अधिकारियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

सबसे बड़े सवाल

Q. कोटा संभाग की को-ऑपरेटिव सोसायटीज में फर्जी ऋण के दर्ज प्रकरण
-विधायक संदीप शर्मा

Q. प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों के ऋण राशि जमा करने की व्यवस्था
-विधायक चेतन पटेल कोलाना

Q. जैतारण क्रय-विक्रय सहकारी समिति में मूंग विक्रय प्रकरण, धारा 55 की जांच तथा नियुक्तियों में अनियमितताएँ
-विधायक श्रीमती गीता बरवड़

Q. राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओ के चुनाव
-विधायक मनोज कुमार (सादुलपुर)

पूर्व सहकारिता मंत्री की विडंबनाः मांगनी पड़ी केवीएसएस की ऑडिट

इस सत्र की सबसे बड़ी सुर्खी डेगाना विधायक या यूं कहें पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह का प्रश्न बना है। यह मामला न केवल प्रशासनिक है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद कटाक्षपूर्ण है। अजय सिंह, जो स्वयं पिछली भाजपा सरकार में सहकारिता विभाग के मंत्री रह चुके हैं और विभाग की बारीकियों को समझते हैं, आज उन्हें अपनी ही विधानसभा डेगाना (नागौर) की क्रय-विक्रय सहकारी समिति (केवीएसएस) के आय-व्यय का विवरण प्राप्त करने के लिए विधानसभा में प्रश्न लगाना पड़ रहा है। अजय सिंह ने केवीएसएस में वर्ष 2021 से 2025 तक के खर्चों का हिसाब मांगकर यह संकेत दिया है कि सहकारी संस्थाओं के भीतर सूचनाओं की पारदर्शिता इस कदर खत्म हो चुकी है कि एक पूर्व मंत्री को भी 'मेज पर विवरण' रखवाने की संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है।

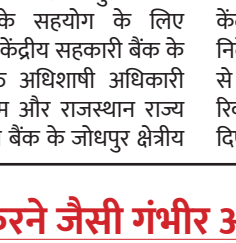

फर्जी डिग्री से वेतन वृद्धि

सहकारी बैंकों में फर्जी डिग्रियों के सहारे पदोन्नति और वेतन वृद्धि लेने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। विधायक कालीचरण सराफ और चेतन पटेल कोलाना ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। असल में विधायक कालीचरण सराफ ने सवाल उठाया कि अपेक्स बैंक में फर्जी डिग्री के आधार पर वेतन वृद्धि लेने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई हुई? जबकि विधायक चेतन पटेल कोलाना ने विशेष रूप से MCA और MSc-IT की फर्जी डिग्रियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या वेतन वृद्धि देने से पहले डिग्रियों की जांच कराई गई थी? साथ ही, फर्जी डिग्री से अब तक कितनी राशि एरियर के रूप में डकारी गई, इसका विवरण भी सदन की मेज पर रखने की मांग की।

सहकार से 'अंधेरगर्दी' तक: दम तोड़ती व्यवस्था और लुटता किसान

टिप्पणी
प्रकाश वैष्णव

सहकारी आंदोलन की बुनियाद 'सहयोग' और 'पारदर्शिता' के उन स्तंभों पर टिकी है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और किसान वर्ग को आर्थिक संबल देना है। लेकिन मारवाड़ क्षेत्र से आई हालिया खबरें इस पवित्र उद्देश्य पर कालिख पोत रही हैं। विधानसभा में गूंजते सवाल और ऑडिट रिपोर्ट के कड़वे खुलासे यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि राजस्थान के सहकारी बैंक और समितियां अब सेवा के केंद्र के बजाय भ्रष्टाचार के सुरक्षित ठिकाने बनते जा रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाएं, तो व्यवस्था का ढहना निश्चित है। सबसे चौंकाने वाला प्रकरण सहकारी बैंकों में फर्जी डिग्रियों के आधार पर की गई नियुक्तियों और पदोन्नतियों का है। अपात्र व्यक्तियों को 'प्रबंध निदेशक' जैसे रसूखदार पदों पर बैठाना न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाना है, बल्कि उन योग्य और ईमानदार अधिकारियों के साथ भी क्रूर मजाक है जो पात्रता के बावजूद हाशिए पर हैं। **सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर किसके राजनीतिक संरक्षण में 'फिट एंड प्रॉपर' गाइडलाइन को ताक पर रखकर ये नियुक्तियां की गईं?** जब बैंक की आर्थिक स्थिति खुद डांवाडोल हो, तब करोड़ों रुपये के एरियर का रेवड़ियों की तरह भुगतान करना सीधे तौर पर जनता की गाढ़ी कमाई की लूट है। *'गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' में धांधली की जांच के आदेश स्वागत योग्य तो हैं, लेकिन संशय बरकरार है कि क्या ये जांचें किसी तार्किक अंजाम तक पहुंचेंगी? इतिहास गवाह है कि ऐसी जांच में समितियां अक्सर फाइलों के जाल में उलझकर रह जाती हैं और 'बड़े मगरमच्छ' साफ बच निकलते हैं।* मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में उजागर हुई अनियमितताएं-चाहे वह 42.14 लाख रुपये का अंतर हो, फर्जी ऋण वितरण हो या वेतन में हेराफेरी-यह स्पष्ट करती हैं कि निचले स्तर पर निगरानी तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। किसानों के नाम पर गुपचुप ऋण उठा लेना और अमानत राशि डकार जाना विश्वासघात की पराकाष्ठा है। यदि सहकारी संस्थाओं से आम आदमी का भरोसा उठ गया, तो इस त्रि-स्तरीय ढांचे को बिखरने से कोई नहीं बचा पाएगा। **समय आ गया है कि सहकारी तंत्र को 'राजनीति का अखाड़ा' और 'भ्रष्टाचार का केंद्र' बनने से रोका जाए। वरना, 'सहकार से समृद्धि' का नारा केवल दीवारों पर लिखा एक खोखला जुमला बनकर रह जाएगा।** सरकार को अब 'दूध का दूध और पानी का पानी' करने के लिए सख्त कार्रवाई की नजीर पेश करनी होगी।

भूतगाँव जीएसएस : नियुक्ति में धांधली की आशंका

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

***सिरोही** जिले की भूतगाँव ग्राम सेवा सहकारी समिति की वर्ष 2024-25 की ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट ने वित्तीय घाटे के साथ-साथ व्यवस्थापक की नियुक्ति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान व्यवस्थापक की नियुक्ति 1 अप्रैल 2017 को दर्शाई गई है, जो जांच का विषय बन गई है। गौरतलब है कि राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के गठन के साथ ही 1 जुलाई 2017 से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रस्ताव प्रणाली के जरिए नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने से ठीक तीन महीने पहले हुई यह नियुक्ति 'बैकडेट' में कार्यभार दिखाने की ओर इशारा करती है, जिससे ऑडिट रिपोर्ट और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की आशंका गहरा गई है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि बैंक प्रबंधन की कथित मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर यह नियुक्ति दिखाई गई है। इसके अलावा, ऑडिट में 3 लाख 84 हजार रुपये का सीधा अंतर पाया गया है और वर्तमान में समिति लगभग 5 लाख रुपये के घाटे में चल रही है।*

केंद्रीय सहकारी बैंक में 'गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' में धांधली की जांच के आदेश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । संभाग के बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक में 'गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच होगी । इसके लिए सहकारिता विभाग जोधपुर खंड के अतिरिक्त रजिस्ट्रार देवेंद्र अमरावत ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत जांच करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके अनुसार सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा पूर्व में कराई गई प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद अब इस मामले की गहन जांच का निर्णय लिया गया है। इस जांच के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज भानू सिंह गोगावत को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उनके सहयोग के लिए जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी अर्जुनराम और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के जोधपुर क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवीण खोखर को जांच टीम में शामिल किया गया है। साथ ही इस जांच टीम को 30 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की वित्तीय व प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक को जांच दल को जांच से संबंधित सभी आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ।

ऑडिट में व्यवस्थापकों द्वारा फर्जी ऋण, वेतन हेराफेरी और अमानत राशि जमा न करने जैसी गंभीर अनियमितताएं

मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र की 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भारी अनियमितताएं उजागर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता विभाग द्वारा मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हुए करोड़ों रुपये के गबन और वित्तीय अनियमितताओं का एक बड़ा खुलासा किया गया है । दरअसल राजस्थान विधानसभा के वर्तमान सत्र में विधायक केसाराम चौधरी के सवाल पर सहकारिता विभाग द्वारा 13 फरवरी को जवाब प्रस्तुत किया गया है । जिसके अनुसार, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से कई समितियों में गंभीर घोटाले सामने आए हैं, इनमें व्यवस्थापकों और सेल्समैनों द्वारा लाखों रुपये की हेराफेरी की गई है । हालांकि विभाग ने दोषी कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 के तहत वसूली और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है । मारवाड़ जंक्शन की 46 में से 06 प्रमुख समितियों में बड़े पैरा (अनियमितताएं) दर्ज किए गए हैं । वहीं, रानी गाँव, विशाल क्रेडिट को-ऑपरेटिव और उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव जैसी समितियों की पिछले 3 वर्षों से ऑडिट ही नहीं हुई है। विभाग ने लिखित जवाब के जरिए सदन में आश्वस्त किया है कि सभी लंबित ऑडिट जल्द पूरे किए जाएंगे और दोषियों से ब्याज सहित वसूली की जाएगी ।

4.43 लाख रुपये का अंतर

सवराड ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी इसी तरह का मामला सामने आया है । यहाँ के पूर्व व्यवस्थापक सोहनलाल के कार्यकाल में लगभग 4.43 लाख रुपये का अंतर पाया गया । सोहनलाल की मृत्यु के बाद, ऑडिट में पाया गया कि उनके द्वारा सदस्यों से वसूल की गई 3.68 लाख रुपये की राशि बैंक खाते में जमा ही नहीं की गई । इसमें भुण्डाराम, कीकाराम, रामलाल, नाराम और कैलाश कंवर जैसे सदस्यों की जमा राशि शामिल थी । साथ ही, सेल्समैन भावेश द्वारा भी अमानत वापसी और वेतन के नाम पर 62,654 रुपये के गबन का मामला दर्ज किया गया है ।

वसूली के लिए कार्यवाही प्रस्तावित

सहकारिता विभाग द्वारा 100 से अधिक पृष्ठों में प्रस्तुत जवाब के अनुसार, बाड़सा ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक श्रवण कुमार द्वारा भारी अनियमितताएं की गई हैं । यहाँ वर्ष 2022-23 की ऑडिट में पाया गया कि 15.94 लाख रुपये की रोकड़ पोता राशि (कैश बैलेंस) चार्ज में ही नहीं सौंपी गई । इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान कृषि आदान अनुदान के नाम पर 9.10 लाख रुपये, अधिक वेतन के रूप में 48,000 रुपये और गोदाम मरम्मत के फर्जी वाउचर बनाकर 96,000 रुपये का गबन किया गया । कुल मिलाकर 10.54 लाख रुपये की वसूली के लिए राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 57 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ।

लाखों के वेतन और अमानतों में खेल

सारण और बान्ता ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पूर्व व्यवस्थापक खीवाराम भाटिया (जो वर्तमान में निलंबित हैं) के विरुद्ध गंभीर आरोप लगे हैं । रिपोर्ट के अनुसार, खीवाराम ने रोकड़ गबन, रसीदों को नकद बही में दर्ज न करने और अध्यक्ष की अनुमति के बिना वेतन भुगतान के माध्यम से कुल 13.73 लाख रुपये का गबन किया है । चौंकाने वाली बात यह है कि बान्ता समिति में निलंबन काल के दौरान भी उन्हें 11.69 लाख रुपये का वेतन भुगतान कर दिया गया, जिसके लिए बैंक से कोई सक्षम स्वीकृति नहीं ली गई थी । इसके अलावा, धनला ग्राम सेवा सहकारी समिति में स्टॉक की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहाँ सहायक व्यवस्थापक/सेल्समैन शंकरलाल से 6.69 लाख रुपये की स्टॉक गबन राशि वसूली जानी थी, जिसमें से अब तक केवल 3.20 लाख रुपये ही वसूल हो पाए हैं । इसी तरह बिजोवा समिति में व्यवस्थापक विक्रम सिंह भाटी के कार्यकाल में रोकड़ पोता में 19.24 लाख रुपये का भारी अंतर पाया गया है ।

फर्जी ऋण और किसानों के साथ धोखाधड़ी

ऑडिट रिपोर्ट में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण उठाने और वितरण में हेराफेरी के कई उदाहरण दिए गए हैं । बिजोवा और अन्य समितियों में देखा गया कि बैंक शाखा से प्राप्त ऋण राशि और समिति की रोकड़ बही में दर्ज राशि में भारी अंतर है । उदाहरण के तौर पर: गेनाराम पुत्र मगाराम के नाम पर 50,000 रुपये का फर्जी ऋण दर्शाया गया, जबकि बैंक से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी । वही श्रोंगाराम पुत्र चेनाराम के मामले में बैंक से 1.05 लाख रुपये प्राप्त हुए, लेकिन समिति की बहियों में अधिक राशि दर्शाकर अंतर का गबन कर लिया गया । तथा दरगाराम और नेनाराम जैसे किसानों के ऋण खातों में भी इसी तरह की विसंगतियां पाई गई हैं । कुल मिलाकर, जांच में गबन की राशि का आंकड़ा 88.86 लाख रुपये से अधिक तक पहुँच गया है ।

13.27 करोड़ रुपये की अमानत राशि जमा

विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध कुल 46 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं। इन समितियों में कुल 42,144 सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 42 समितियों के 28,632 सदस्यों की कुल 1327.58 लाख (लगभग 13.27 करोड़) रुपये की अमानत राशि जमा है। बीते 5 वर्षों में कुल 1759 सदस्यों पर अवधिपार ऋण बकाया है।

एक्सपर्ट व्यू

मारवाड़ जंक्शन से आई यह खबर राजस्थान के सहकारिता ढांचे की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहाँ 'सहकार' (साथ मिलकर काम करना) का अर्थ अब 'सह-कारनामा' (मिलकर गबन करना) होता जा रहा है। विधानसभा में केसाराम चौधरी के सवाल ने उस 'दीमक' को बेनकाब कर दिया है जो किसानों की खून-पसीने की कमाई को अंदर ही अंदर चाट रही है। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि रानी गाँव, विशाल और उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव जैसी समितियों की पिछले 3 साल से ऑडिट ही नहीं हुई। यह प्रशासनिक शिथिलता का चरम है। जब घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएँ, तो चोर को दोष देना तो महज रस्म अदायगी है। ऑडिट न होना भ्रष्टाचार के लिए 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाने जैसा है। जबकि बान्ता समिति के खीवाराम भाटिया ने तो सिस्टम का मजाक ही बना दिया। निलंबित होने के बावजूद 11.69 लाख रुपये का वेतन डकार जाना बिना 'ऊपरी आशीर्वाद' के संभव नहीं है। यह भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि प्रशासनिक बेशर्मी का उत्कृष्ट उदाहरण है। विभाग कह रहा है कि 'वसूली और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।' लेकिन इतिहास गवाह है कि सहकारिता के मामलों में 'वसूली' की फाइलें धूल फांकने में माहिर होती हैं। 88.86 लाख रुपये से ज्यादा का गबन और 13 करोड़ से अधिक की अमानत राशि दांव पर है। क्या विभाग वाकई ब्याज सहित वसूली कर पाएगा, या यह भी आश्वासन की एक और 'पोथी' बनकर रह जाएगी?

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) रविवार, 15 फरवरी 2026
4

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
MSME Reg. - UDYAM-RJ-19-0033346

भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, नागौर और पाली केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए 82.85 करोड़ रुपये की राशि जारी

कर्ज माफी ब्याज पेटे देय 82 करोड़ की राशि जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के सहकारिता आंदोलन और खेती-किसानी की रीढ़ माने जाने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत बकाया ब्याज की अदायगी के लिए 82.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। विशेष बात यह है कि यह आदेश उस समय आया है जब 'ऑल राजस्थान को-आपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन', 'ऑफिसर्स एसोसिएशन' और 'सहकारी साख समितियाँ एम्प्लाइज यूनियन' के संयुक्त

तत्वावधान में प्रदेशव्यापी आंदोलन का शंखनाद किया गया। दरअसल सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा के नेतृत्व में आज प्रदेशभर में केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों ने सहकारी साख आंदोलन को बचाने के लिए हुंकार भरी। बाड़मेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सहित कई केंद्रीय सहकारी बैंकों के आगे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा धरने और प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। इस आंदोलन के दबाव और कर्मचारी संगठनों की जायज मांगों का ही परिणाम है कि सहकारिता विभाग ने तत्काल प्रभाव से पांच प्रमुख केंद्रीय सहकारी बैंक यथा भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, नागौर और पाली के लिए 82.85 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के आदेश दे दिए। सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का आभार व्यक्त कर कहा, "यह पैक्स से अपैक्स तक के साथ आंदोलन, सहकारी बैंकों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन धर्म और संस्कृति की जीत है।

अब तक 283.35 करोड़ रुपये जारी

राज्य सरकार पर कर्ज माफी के विलंब भुगतान के ब्याज पेटे कुल 765 करोड़ रुपये की देनदारी थी। इसमें से 200.50 करोड़ रुपये की राशि एक वर्ष पूर्व राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के पीडी खाते में जमा कराई गई थी। हाल ही में विभाग ने इस 200 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों के पीडी खाते में राशि जमा करने के लिए पीडी खाते के संचालनकर्ता से ही कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान दिए है । अब ताजा 82.85 करोड़ की स्वीकृति के साथ ही सरकार द्वारा कुल 283.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

82.85 करोड़ की राशि जारी

सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पांच सीसीबी को 82.85 करोड़ की राशि जारी की गई है । यह राशि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर के पीडी खाते के माध्यम से संबंधित बैंकों को हस्तांतरित की जाएगी।

सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होना आवश्यक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा भराव क्षमता के अनुसार गोदाम निर्माण के लिए बजट राशि निर्धारित की गई है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में जानकारी दी कि 500 मी. टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए 1500 वर्ग मी. भूमि होना आवश्यक है और इसके लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, 250 मी. टन क्षमता के गोदाम के लिए 812 वर्ग मीटर भूमि होने पर 16 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार 100 मी. टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए 160 वर्ग गज भूमि उपलब्ध होने पर 12 लाख रुपये प्रति गोदाम की बजट राशि निर्धारित की गई है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार प्रश्नकाल के दौरान सदस्य लालाराम बैरवा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र (भीलवाड़ा) के शाहपुरा-बनेड़ा की सभी 66 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध है। इनमें से केवल 7 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम एवं भवन निर्मित नहीं हैं। इससे पहले विधायक बैरवा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाडा) में कुल 66 पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। उन्होंने बताया कि गोदाम भवन बनाने के लिए ग्राम सेवा समितियों के पास नियमानुसार वैध स्वामित्व वाली भूमि की उपलब्धता होना आवश्यक है। साथ ही, नियमानुसार संबंधित प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम/भवन निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाता है।

निष्पक्ष जांच के लिए शिकायत मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और जिला कलेक्टर को भेजी गई

सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक में पदोन्नति को लेकर गंभीर आरोप, जांच की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल, सिरोही जिले में सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सूत्रों ने मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को पत्र लिखकर बैंक प्रबंधन पर नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को फायदा पहुंचाने के संगीन आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, बैंक में लंबे समय से योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति रोकी गई, जबकि नियमों के विरुद्ध जाकर कम योग्यता वाले व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर बैठाया गया। उनका आरोप है कि सहकारिता विभाग पंजीयक (रजिस्ट्रार) और शासन सचिवों के बार-बार आदेशों के बावजूद जानबूझकर समय पर डीपीसी नहीं की गई। हालांकि वर्ष 2025-26 की डीपीसी में एक ऐसे कर्मचारी को 'कैशियर' पद पर पदोन्नत किया गया, जो मात्र 10वीं पास है, जबकि सहकारिता विभाग पंजीयक (रजिस्ट्रार) द्वारा इस पदोन्नति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार, कर्मचारी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। अब आरोप है कि वरिष्ठ और योग्य कर्मचारियों को उनके हक से वंचित रखा गया, जिससे वे सहायक कर्मचारी के पद से ही सेवानिवृत्त हो गए।

सीबीआई और एसीबी से जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंपने की मांग की है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यदि बैंक के रिकॉर्ड और डीपीसी प्रक्रिया की गहराई से जांच की जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस शिकायत की प्रतियां मुख्यमंत्री राजस्थान, मुख्य सचिव, और जिला कलेक्टर सिरोही एवं सीसीबी प्रशासक को भी भेजी गई हैं,।

उच्चाधिकारियों के आदेशों की सरेआम अवहेलना

शिकायत कर्ताओं के मुताबिक, उच्च अधिकारियों ने बार-बार बैंक को नियमित डीपीसी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बैंक प्रबंधन ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया । सहकारिता विभाग पंजीयक (रजिस्ट्रार) कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) ने 12 जून 2017 को नियमित डीपीसी का आदेश दिया। यहां तक कि बैंक प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में शासन उपसचिव और प्रमुख शासन सचिव के परिपत्रों की अनदेखी की गई। इसी ही तरह सहकारिता विभाग पंजीयक (रजिस्ट्रार) कार्यालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) के 21 जून 2022 के निर्देशों को भी बैंक प्रबंधन ने दरकिनार किया। इतना हीं नहीं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) के 4 अगस्त 2023 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई।

डेयरी सहकारी समितियों को 50 माइक्रो एटीएम का वितरण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर। जिले में 'म्हारो खातो म्हारो बैंक' अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। दरअसल उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के तत्वावधान में उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) के परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सचिवों को 50 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना है। वितरण के साथ-साथ समितियों के सचिवों को माइक्रो एटीएम की कार्यप्रणाली, इसके माध्यम से सदस्यों के खातों में लेन-देन करने की प्रक्रिया और संचालन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। यह तकनीकी जानकारी बैंक के आईटी प्रबंधक हितेश कुमार पांचाल द्वारा प्रदान की गई। वही कार्यक्रम में मुख्य रूप से उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की पीएंडआई इंचार्ज वीना खंडेलवाल और उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक डॉ. मेहजबीन बानो उपस्थित रहीं। इस अवसर पर उदयपुर एवं सलूम्बर जिले की विभिन्न डेयरी सहकारी समितियों के सचिवों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस पहल से अब दुग्ध उत्पादकों को अपने गांव और समिति स्तर पर ही बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी।

राज्य के प्रथम 'नेफेड बाजार' का उद्घाटन

जयपुर। स्थित नेहरू सहकार भवन में राज्य के पहले 'नेफेड बाजार' का विधिवत उद्घाटन किया गया। नेशनल एग्रीकल्चर को- ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नेफेड) द्वारा शुरू किया गया यह रिटेल आउटलेट 'किसान से किचन तक' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस 'नेफेड बाजार' के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे। राज्य के इस प्रथम 'नेफेड बाजार' का शुभारम्भ किसानों की समृद्धि एवं उपभोक्ताओं की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पिचियाक पैक्स व्यवस्थापक सम्मानित

जोधपुर । जिले की पिचियाक ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक सहदेव कीर को उत्कृष्ट कार्य के लिए जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। सहकारिता क्षेत्र में एम पैक्स के रूप में बेहतर कार्य करने वाले व्यवस्थापकों को नाबार्ड की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 में सम्मान मिला। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कीर को सम्मानित किया। जीएसएस पिचियाक अध्यक्ष गंगा सिंह भाटी और सदस्य सगराम जोगचंड ने आभार जताया।

रबी सीजन 2026 : सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ ने आगामी रबी सीजन 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तिलहन यथा सरसों एवं चने की खरीद के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है । इसके लिए राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी दलपतदान ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, फलोदी, सिरोही जिलों के उप/सहायक-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को खरीद केंद्रों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आधिकारिक पत्रानुसार, खरीद प्रक्रिया पूर्व की भांति क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित की जाएगी। हालांकि खरीफ 2025 में स्थापित केंद्रों की सूची के अतिरिक्त यदि किसी केवीएसएस/जीएसएस का नाम जोड़ना या किसी का नाम निरस्त किया जाना है, तो इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा आवश्यक होगी। इसके लिए अब राजफेड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि, यदि प्रस्तावित केंद्रों की सूची में कोई संशोधन अपेक्षित है, तो उसे अतिशीघ्र राजफेड की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भिजवाया जाए। जबकि समय पर सूचना नहीं प्राप्त होती है, तो पुरानी सूची के आधार पर ही मुख्यालय द्वारा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा राजस्थान के समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों की सूची जारी की गई है । इसके मुताबिक जोधपुर संभाग के आठ जिलों में वर्तमान समय में 68 केंद्र संचालित है । इनमें जोधपुर जिले में 16, बाड़मेर जिले में 4, जैसलमेर जिले में 13, पाली जिले में 8, सिरोही जिले में 4, जालोर जिले में 7, बालोतरा जिले में 5, फलौदी जिले में 11 केंद्र है । जबकि इनमें से 48 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां पर एवं 20 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर केंद्र स्थापित किए गए हैं।

केसीसी स्कीम में होने जा रहे बड़े बदलाव

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली| आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में बदलाव के लिए मसौदा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद कवरेज बढ़ाने के साथ संचालन पहलुओं को आसान बनाना और कृषि क्षेत्र में उभरती जरूरतों को पूरा करना है। आरबीआई ने मसौदा गाइडलाइन पर नियामक संस्थानों, आम लोगों और दूसरे हितधारकों से छह मार्च तक सलाह मांगी है। आरबीआई ने लोन मंजूरी और पुनर्भुगतान शेड्यूल में समानता लाने के लिए फसल के मौसम को अवधि के हिसाब से मानकीकरण करने का प्रस्ताव दिया है। कम अवधि वाली फसलों के लिए 12 महीने का वक्त तय किया गया है जबकि लंबी अवधि में तैयार होने वाली फसलों के लिए अवधि 18 महीने तय की गई है। केंद्रीय बैंक ने केसीसी के ड्राइंग सीमा को हर फसल के मौसम के लिए फाइनेंस के स्केल के साथ जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया है ताकि यह पक्का हो सके कि किसानों को खेती की असली लागत के आधार पर सही क्रेडिट मिले। इसके अलावा, मिट्टी की टेस्टिंग, रियल टाइम मौसम का अनुमान और आर्गेनिक खेती के बेहतर तरीकों के इस्तेमाल में होने वाले खर्च को भी अवयव के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। ये खर्च, खेती की चीजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अभी मंजूर 20 प्रतिशत अतिरिक्त अवयव में शामिल होंगे। फरवरी में मौद्रिक नीति का एलान करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बारे में एलान किया था, जिसके बाद यह मसौदा गाइडलाइन जारी की गई हैं।

फाइलों में दौड़ता रहा कर्ज माफी के ब्याज का 'पैसा', हकीकत में 'पीडी खातों' की शोभा बढ़ता रहा 200 करोड़!

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली को देखकर लगता है कि यहाँ कैलेंडर और घड़ी, दोनों ही किसी दूसरे ग्रह के हिसाब से चलते हैं। मामला है ऋण माफी के ब्याज की राशि का, जिसे 'पीडी खाता-पीडी खाता' खेलने के बाद आखिरकार फरवरी 2026 में याद किया गया। आपको याद दिला दें (क्योंकि विभाग तो शायद भूल ही गया था), कि राज्य सरकार ने ऋण माफी ब्याज के पेटे लगभग 200.50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि 30 मार्च 2025 को ही जारी कर दी थी। उस वक्त खूब वाह-वाही लूटी गई थी कि सहकारी बैंकों के हित में यह राशि वरदान बनकर आई है । लेकिन वह करोड़ों की भारी-भरकम

राशि चुपचाप 'पीडी खातें' में गहरी नींद में सो गई । अब, करीब 11 महीने बाद 11 फरवरी 2026 को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को होश आया है कि उन्हें यह राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों को भेजनी है। 13 फरवरी 2026 को बकायदा पत्र लिखकर समस्त प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया जा रहा है कि भाई साहब, अब जरा बिल जनरेट कर लीजिए और 'यथाचित' लेखांकन कर लीजिए।

88 करोड़ का नया 'स्टॉक' और पुरानी सुस्ती

हैरानी की बात तो यह है कि अभी दो सप्ताह पूर्व ही सरकार ने 5 केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की थी। लेकिन पुरानी रवायत कायम रखते हुए यह राशि भी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के पीडी खाते में 'अतिथि' बनकर बैठ गई है। सहकारी बैंक 31 मार्च की बैलेंश सीट की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, और उधर करोड़ों रुपये खातों में पड़े-पड़े 'सरकारी औपचारिकता' पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मानना है कि पैसा 'सुरक्षित' रहना ज्यादा जरूरी है, चाहे वह काम आए या न आए। पीडी खातों में राशि का इस तरह पड़े रहना यह दर्शाता है कि बकाया ब्याज की राशि जारी करना केवल एक 'इवेंट' बन गया है।

28 केंद्रीय सहकारी बैंकों को फरमान

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने जयपुर सीसीबी को छोड़कर प्रदेश के अन्य 28 केंद्रीय सहकारी बैंकों को अब जाकर बिल बनाने का 'न्योता' भेजा है। सूची में 188.11 करोड़ रुपये का बंटवारा किया गया है। इसमें बाड़मेर सीसीबी को सबसे ज्यादा 21.26 करोड़, सीकर सीसीबी को 13.49 करोड़, कोटा सीसीबी को 11.81 करोड़, जोधपुर सीसीबी को 13.43 करोड़ और अन्य समस्त सीसीबी को 10 करोड़ से कम तथा सबसे कम बीकानेर को 1.32 करोड़ की राशि, उनके पीडी खातों में मिलने वाली है।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।